समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 09 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 सितम्बर, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

जोधपुर ने मनाया समता आन्दोलन स्थापना महोत्सव

''जातिगत आरक्षण देश के लिए अभिशाप है: समता आन्दोलन

जोधपुर। समता आन्दोलन का स्थापना महोत्सव जोधपुर में स्थानीय लघु उद्योग भारती भवन में 7 सितम्बर को मनाया गया।

कैलाश राजपुरोहित, सभागीय अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति, जोधपुर ने बताया कि इस समारोह में सेन्य अधिकारियों और जवानों की उपस्थिति से समारोह की गरिमा और सार्थकता सिद्ध हुई है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया राजस्थान राज्य में ओबीसी आरक्षण पूरी तरह अविधिक और असंवैधानिक रूप से दिया जा रहा है। किसी भी समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार को संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि उस समुदाय का राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राजस्थान में सरकारी सेवाओं में मौजूदा ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त से दोगुना से भी अधिक हो चुका है। अत: किसी भी सेवा में राज्य सरकार को मौजूदा ओबीसी सूची के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई संवैधानिक या विधिक अधिकार नहीं है। किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में यदि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो कोई भी पीड़ित अभ्यर्थी इसे हाईकोर्ट में चुनौती देकर निरस्त करवा सकता है।

शर्मा ने अपने उद्बोधन में यह भी बताया कि संविधान में नौकरी का आरक्षण प्रावधान केवल पिछड़ों और आर्थिक कमजोर लोगों के लिए ही है। दुर्भाग्यवश राजनेताओं ने इसे जाति आधारित आरक्षण बना दिया है। जातिगत आरक्षण देश के लिए अभिशाप है। जातिगत आरक्षण से जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है जिसके कारण देश की अनेक राजनीतिक पार्टियां भी विकासवादी की जगह जातिवादी राजनीति करके देश को बर्बाद कर रही हैं।

एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी देते हुए शर्मा ने बताया कि इस एक्ट में 95 प्रतिशत मुकदमे सात साल से

कम सजा वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के प्रकरण में बड़ा सख्त निर्णय दिया है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में किसी भी अभियुक्त की न्यायिक निर्णय से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं की जाये। यदि किसी प्रकरण में गिरफ्तारी आवश्यक हो तो आइओ द्वारा गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में अंकित करते हुए समुचित साक्ष्य एकत्र करके अपने उच्च अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेने के बाद ही कोई गिरफ्तारी की जा सकेगी।

चूंकि एट्रोसिटी एक्ट के अधीन 95 प्रतिशत से अधिक अपराध 7 साल तक की सजा वाले हैं अत: इन मुकदमों में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष अभियुक्तों का भ्रष्टाचार पूर्ण शोषण किया जा रहा है जो गलत है। लोगों को जागरूक होना चाहिए। समता आंदोलन पदाधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए।

पदोन्नति में जातिगत आरक्षण को अविधिक बताते हुए शर्मा ने बताया कि आज की तारीख में किसी भी सामान्य पद पर किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति की किसी भी सूरत में पदोन्नति नहीं की जा सकती है। समता आन्दोलन का यह सुविचारित मत है कि ईडब्ल्यूएस के पाँचों मानदंडों को प्रत्येक आरक्षण में लागू किया जाए।

समारोह में समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौर, चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्यामसुंदर सेवदा, एक्स सर्विसमैन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रानू सिंह राजपुरोहित, राजस्थान शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल विजय, उदयपुर जिला अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव आदि ने भाग लिया।

समारोह के समापन भाषण में कैलाश राजपुरोहित, सभागीय अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति, जोधपुर ने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर आदि जिलों से आये हुये प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया एवं समता आन्दोलन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया।

आयु में छूट का लाभ लिया तो सामान्य श्रेणी में नियुक्ति नहीं

सुप्रीम कोर्ट : आरक्षण पर नियमों का दिया हवाला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए आयु में छूट का लाभ उठाया है तो उसके नाम पर बाद में अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी की रिक्तियों पर चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। बशर्ते इस पर भर्ती नियमों में रोक लगाई गई हो।

पीठ कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा कांस्टेबल ;जीडीद्ध पदों के लिए की गई भर्ती से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में आयु सीमा 18-23 वर्ष थी, वहीं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष की छूट थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवारों के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ उठाकर योग्यता प्राप्त की। हालांकि उन्होंने अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से

अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें अंतिम चयनित ओबीसी उम्मीदवार से कम रैंक दी गई और इस प्रकार उन्हें नियुक्त नहीं किया गया।

उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि योग्यता के आधार पर उन्हें अनारक्षित सीटों पर विचार किया जाना चाहिए।

इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला दिया।

वैधानिक ढांचे पर आधारित था निर्णय

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश मामले को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है, जबकि वह मामला विशिष्ट वैधानिक ढांचे पर आधारित था। यह इस प्रकार के अनुमति देता थाए जबकि इस मामले में स्पष्ट नियम हैं। इनके मुताबिक आरक्षित श्रेणी में छूट का लाभ उठाने उम्मीदवारों के नामों पर अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष की कलम से

''हम अर्थात हम''

साथियों,

यह एक खुश खबर पर है कि समता आन्दोलन की ईकाई का विधिवत् गठन छत्तीसगढ़ में हो चुका है, और प्रदेश अध्यक्ष भवरलाल और उनके सहयोगी मुकेश पारीक के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली बैठक में सार्थक चर्चा भी हुई है।

विस्तार और विकास सजीवता और सक्रियता के मानदड हैं। विशेषकर जाति आरक्षण को संवैधानिक शुचिता के साथ लागू करने का मानस दिखाई देना भी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेष रूप से इस साल के समता आन्दोलन स्थापना दिवस के समारोहों की गिनती उल्लेखकीय रूप में बढना हम सब के उत्साह को प्रमाणित करता है।

काल के कैनवास पर 78 साल एक छोटी सी अवधि है और उसमें भी मात्र 18 सालों की अवधि में समता आन्दोलन ने बिना शोर मचाए बिना बदमजगी किये जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं वे हमारे लिये संतोष नहीं अपितु गर्व की बात है। चुनाव लड़कर सत्ता लेने वाले दलों और नेताओं से अलग हमारी कहीं अधिक मानववादी हैं।

हम बिना किसी भय या लालच के कह सकते हैं कि ''सबका साथ सबका विकास'' के सिद्धांत का पालन जिस तरह समता आन्दोलन ने किया है वैसा किसी दूसरे संगठन ने किया हो तो हम अधिक प्रसन्न होंगे, भारत देश अब दुनिया में अधिक बलवान दिखाई देता है। आईये इसे और बलवान बनाएं।

जय समता-विजय समता।

सम्पादकीय

''जाति आरक्षण है भी नहीं भी''

तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बिहार प्रदेश विधान सभा के चुनाव बहुत निकट हैं कथित गोदी मीडिया की खबरें पूरी तरह सेठों की धनराशि से नियंत्रित है और इस धनराशि का नियंत्रण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सत्ता प्रतिष्ठान के माध्यम से नियंत्रित हैं। फिर भी जो खबरें और स्तरहीन बहसें देखने-सुनने को मिलती हैं उससे संकेत मिलते हैं कि देश करवट तो ले रहा है। अभी तक आश्चर्य जनक है कि राजनेता और उनकी पार्टिया जो भी मुद्दे उठा रही हैं उनमें जातिवाद की चर्चा बहुत कम है !!!

ऐसे में प्रश्न बनता है कि क्या भारत से जात आधारित आरक्षण का तम्बू सिमट चुका है ? क्योंकि कोई 20-30 साल पहले जिस बिहार में जात के नाम पर बड़े-बड़े नरसंहार हुआ करते थे। सरकारें गिर जाती थीं वहीं पर इस बार के आम विधान सभा चुनावों में जात और जाति आरक्षण की चर्चा नहीं के बराबर है। जबकि चिराग पासवान, जीतन राममांझी, एचंद्रशेखर रावण जैसे घोर जात आधारित नेता वर्तमान में हैं। ये संभव है कि चुनावों तारीखों की घोषणा और इंडिया तथा एनडी गठबंधनों में सीटों के बंटवारे के बाद एकदम से जात का मुद्दा फिर खड़ा हो जावे।

फिलहाल बात ये है कि 80-20 का मुद्दा बड़े जोर-शोर से खड़ा हुआ था, उसकी धार कमज़ोर पड़ गई है। संभवत: किसी सोची-समझी रणनीति के तहत एस.आई.आर. का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया है कि जात और धर्म के सारे मुद्दे अपना मुँह दिखाने के तरस रहे हैं? यहाँ पर भाजपा के बड़े राष्ट्रीय नेता अरुण जेटली का कथन याद आता है. हम जात आरक्षण को ऐसा कर देंगे कि यह होते हुए भी प्रभावहीन हो जायेगा-। आज यह पूरी तरह सही दिखाई देता है।

जाति आरक्षण की ऐसी हालत के बाद कह नहीं सकते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाजन समाज खुश होगा भी या नहीं। क्योंकि इन दिनों प्रमुख समाजों की तीन पीढ़ियाँ विगत 18 सालों में आरक्षण की भेंट चढ चुकी हैं। चौथी पीढी जो बची है वो क्षीण संख्या बल और टूट चुके मनोबल के कारण वापस खड़े होने की हालत में नहीं बचे हैं। वैष्णवाचार्य रामभद्राचार्य और जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही जात आरक्षण के खिलाफबोल चुके हैं। लेकिन दूसरे पक्ष वाले जो अपने ही भाईयों का भाग्य लूटकर खा रहे हैं वे बिना पढे और शायद बिना देखे मनुस्मृति का नाम बार-बार उछालकर जाति आरक्षण के मुद्दे को फिर से केन्द्र में लाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं।

कथित गोदी मीडिया ने जाने अनजाने ही सही लेकिन जाति आरक्षण को कमजोर करने का तरीका अपनाया है। अब न्यूज़ चैनलों में एससी,एसटी के स्थान पर बार-बार दलित शब्द का प्रयोग करके इन जातियों को भुलाने का काम किया है। कुल मिलाकर संकेत बहुत बढिया है कि देश से जाति आरक्षण होते हुए भी नहीं होने जैसा हो चुका है। अब बस किसी एक हल्के से धक्के की आवश्यकता है और जाति आरक्षण समाप्त। कौन जाने बिहार ही वह धक्का हो ।

-योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण का सर्कस योग्यता पर

वर्ष 1989 प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने राष्ट्र के समक्ष आरक्षण के मंडल जिन्न को खोला जिसका परिणाम यह हुआ कि एक 18 वर्षीय छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह किया और अंत में राजद के लालू यादव, समाजवादी के मुलायम और बसपा की मायावती ने सिंह की इस नीति का उपयोग भारत की राजगद्दी पर बैठने के लिए किया। उसके बाद प्रत्येक राजनेता कोटा और कतार की बातें करते रहते हैं और कोटे को मूंगफली की तरह बांटते रहते हैं और यह सोचते हैं कि यह लोकप्रिय कदम उन्हें सत्ता में आने के लिए रामबाण साबित होगा। जिसके चलते सामाजिक और आर्थिक उत्थान के नाम पर जाति और पंथ की राजनीति में लोगों को अलग.अलग धड़ों में बांटा जाता है और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि उनके इन कदमों से राष्ट्र की व्यवस्था को नष्ट होने का खतरा पैदा होता है।

वर्ष 2025। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों से पूर्व जटिल मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर भड़क गया है और इस समय भाजपा को इस मुद्दे से जूझना है। यह मुद्दा एक अज्ञात मराठा कामगार मनोज जरांगे द्वारा उठाया जा रहा है जो मुंबई में तब तक अनशन पर बैठा हुआ है जब तक राज्य सरकार 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण को उसकी मांग को नहीं मान लेती है। वे चाहते हैं कि मराठाओं को कृषि काश्तकार जाति कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाए जो उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए पात्र बनाएगी।

उल्लेखनीय है कि मराठा आरक्षण की मांग 1982 में शुरू हुई। जुलाई 2016 में अहमदनगर में एक मराठी लड़की के बलात्कार और हत्या के बाद यह मुद्दा और उठा और 2017 में मराठा आरक्षण की मांग तेज हुई। वर्ष 2023 में जरांगे मराठा आरक्षण का चेहरा बना और जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे ने वायदा किया कि संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अंतर्गत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री फड़नवीस इस बात से जूझ रहे हैं कि इस आश्वासन को किस तरह से पूरा किया जाए और उन्होंने न्यायमूर्ति शिंदे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को जरांगे के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को बढ़ाने का आह्वान किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण के अलावा एमण्बीण्सीण् के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। यही स्थिति कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, जम्मू.कश्मीर, पुडुचेरी में पंचायत स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों का उप.वर्गीकरण लागू किया गया है।

> प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण अपने आप में एक साध्य है। क्या इसके परिणामों के बारे में कोई निष्पक्ष अध्ययन कराया गया है? क्या जिन लोगों को आरक्षण उपलब्ध कराया गया है वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं या उन्हें नुकसान हो रहा है? यदि किसी वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षा या रोजगार मिल जाता है तो इससे वंचित वर्गों का किस तरह भला होता है? क्या जाति राष्ट्रीय राजनीति को और विखंडित नहीं करेगी? योग्यता पर आरक्षण कब से भारी होने लगा है और योग्यता और उत्कृष्टता का क्या होगा?

यह बात समझ में आती है कि राज्य सरकारें आरक्षण कानूनों को प्रोत्साहन देती हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी का एक व्यापक संकट है। नेताओं को नागरिकों द्वारा चुना जाता है और प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मतदाताओं के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। तथापि यह आरक्षण न केवल समस्या पैदा करता है अपितु यह आर्थिक दृष्टि से भी उचित नहीं होता है।

साथ ही इससे संविधान की भावना का पालन भी नहीं होता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजीविका के अधिकार को सीमित कर एक अलग श्रेणी शुरू कर संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। यह औसत दर्जे को बढ़ाने की कीमत पर नहीं किया जा सकता है।

> निश्चित रूप से सामाजिक न्याय एक वांछनीय तथा प्रशंसनीय लक्ष्य है किंतु यह असमानता का पोषण करने की कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आरक्षण न केवल इस प्रावधान के विपरीत है और लोगों को विभाजित करता है अपितु यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाता है।

हमारे नेतागण इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जाति का राजनीतिकरण एक दोधारी तलवार है। जाति को राजनीति की उतनी ही आरक्षण आवश्यकता है जितनी राजनीति को जाति की है। जब जातीय समूह अपने कार्यकलापों में राजनीति करते हैं तो वे अपनी पहचान को सामने रखते हैं और सत्ता और पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण अपने आप में एक साध्य है। क्या इसके परिणामों के बारे में कोई निष्पक्ष अध्ययन कराया गया है? क्या जिन लोगों को आरक्षण उपलब्ध कराया गया है वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं या उन्हें नुकसान हो रहा है? यदि किसी वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षा या रोजगार मिल जाता है तो इससे वंचित वर्गों का किस तरह भला होता है? क्या जाति राष्ट्रीय राजनीति को और विखंडित नहीं करेगी? योग्यता पर आरक्षण कब से भारी होने लगा है और योग्यता और उत्कृष्टता का क्या होगा? यह सच है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है, उन्हें शिक्षा तथा समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। किंतु क्या इससे समान परिणाम मिलेंगे यह चर्चा का विषय है।

समस्या तब पैदा होती है जब हमारे नेतागण वोट प्राप्त करने और सत्ता की लालसा में अपने वोट बैंक के आधार पर आरक्षण का विवेकहीन आकलन करते हैं और उन्हें लगता है कि आरक्षण देकर उनके सत्ता में आने के अधिक आसार हैं और इससे उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा विशेषकर तब जब वे आरक्षण के माध्यम से 70 प्रतिशत से अधिक वोट का राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इससे देश एक सदी पीछे चला जाएगा। हमारे नेतागण सत्ता के लिए इतने अंधे हैं कि उनके द्वारा छोड़े गए जाति के जिन्न के परिणामों को नहीं देख पाते हैं।

त्रासदी यह है कि हमारे राजनेता चाहते हैं कि यह सर्कस जारी रहे। निश्चित रूप से सामाजिक न्याय एक वांछनीय तथा प्रशंसनीय लक्ष्य है किंतु यह असमानता का पोषण करने की कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आरक्षण न केवल इस प्रावधान के विपरीत है और लोगों को विभाजित करता है अपितु यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

सरकार को योग्य लोगों के लिए अवसर सीमित करने और स्वायत्तता और स्वतंत्र रूप से संघ बनाने के स्थान को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

- साभार पूनम आई कौशिक

पौराणिक कथन: 'उलूक'

राजा कितब का पुत्र जो महाभारत युद्ध से पहले कौरवों का दूत बनकर युद्धिष्ठर से मिले थे।

छोड़ो सारे असमंजस को,
भूलो सब देशज अपजस को।
नया समय हो नई चेतना,
भाव जात का पूरा बस हो ।।

कविता

"नीचा हुआ आसमान"

जात से बढकर,
क्षेत्र का वार,
देश सरकार संसद
लोग और अदालतें
सुन्न पड़ती जा रही
आशाओं की धड़कन,
मांओ ने शिशुओं को निहारा
और कहा सुन मेरे नौनिहाल
घुटनों के बाद
जब तुम पैंया-पैंया चलोगे
और फिर दौड़ना चाहोगे
तुम्हे नहीं मिलेंगे
मार्ग और महामार्ग
गलियों से ही
हो सकोगे दो-चार ।
शासन प्रशासन की थकान/सुन रही
मंदिर की घंटियाँ और
मस्जिद की अजान
जन का मन हैरान
किसे कहाँ कैसे कहें
जात के बाद
क्षेत्र में बंटे हैं कान
भूल गये हैं आयाम
कच्चे घरौंदों की दीवारें
थरथराती हैं दिनरात, कि
सड़क के उस तरफ
उफनती दिख रही है धार।
आसमान इतना नीचा
पहले तो नहीं था
अब तो बंटा-बंटा भी है
बादलों के पैबंद
यहाँ वहाँ रोक रहे
सूरज की गर्मी और रोशनी
अंधेरे में लिखे भी तो कैसे
कागज-कलम
अवांछित मान लिये गये है
सभी चिंतित हैं
लेकर अपने-अपने बन्टे
होने वाला है
सबका बंटाढार

– समता डेस्क

चंद्रावती ने 10 साल में एससी-एसटी एक्ट से प्राप्त किए 46 लाख रुपए

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने लगाए फर्जी तरीके से रकम ऐंठने के आरोप

अलीगढ़ की चंद्रावती देवी पर बड़ा आरोप, आयोग को सौंपा मामला

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हस्तपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें चंद्रावती देवी और उनके परिवार पर अनुसूचित जाति वित्तीय सहायता योजनाओं का दुरुपयोग कर 46 लाख रुपये की भारी राशि हासिल करने का आरोप लगा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को पत्र लिखकर गहन जांच की मांग की है।

पत्र के अनुसार, अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है कि चंद्रावती देवी और उनके परिवार के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में 15 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई मामले SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत दर्ज किए गएए जिसके तहत पीड़ितों को वित्तीय सहायता और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चंद्रावती और उनके परिवार ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर 46 लाख रुपये की राशि हासिल की, जो अब जांच के दायरे में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने अपने पत्र में लिखा, यह मामला गंभीर है और इसकी गहन जांच आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। आयोग ने एससी-एसटी आयोग से इस मामले में त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का अनुरोध किया है।

एक्ट के दुरुपयोग पर 7 साल तक की सजा

यदि कोई व्यक्ति या समूह झूठे आरोप लगाकर इस कानून का दुरुपयोग करता है, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। झूठा मुकदमा चलाने का प्रयास के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा और जुमानां हो सकता है। इसके अलावा, यदि वित्तीय धांधली सिद्ध होती है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी कार्रवाई संभव है, जिसमें 7 साल तक की कैद और संपत्ति जब्ती शामिल है।

एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी कमजोर करता है। ऐसे मामलों में वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता मिलने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे समाज में विश्वास की कमी पैदा होती है।

मजता का गुस्सा: सच्चे पीड़ितों के साथ

इस मामले को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। आगरा निवासी रामवीर सिंह ने कहा, ऐसे लोग जो योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं, वे उन गरीब और दलित परिवारों के हक पर डाका डालते हैं, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। एक अन्य निवासी, शीला देवी ने मांग की कि सरकार ऐसी धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए।

सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने बताया, एससी-एसटी एक्ट और योजनाओं का दुरुपयोग नया नहीं है। पहले भी अलीगढ़ में 2018 में एक दलित परिवार पर 10 झूठे मामले दर्ज कर 3 लाख रुपये हासिल करने का आरोप लगा था। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता परिवार बार.बार एससी-एसटी एक्ट का सहारा लेकर मुआवजा वसूल रहा था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को एससी आयोग को सौंपते हुए, सभी आवश्यक दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट्स प्रदान की हैं। एनसीएससी जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक रूप से गठित निकाय है, अब इस मामले की जांच करेगा। आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को समन करने, दस्तावेज मांगने और शपथ पर पूछताछ करने का अधिकार शामिल है।

एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने पहले भी योजनाओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग इस मामले में तेजी से जांच शुरू करेगा और दोषियों के खिलाफकार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

46 लाख की लूट अब होगी सख्ती

यह मामला न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे देश में एससी-एसटी योजनाओं के दुरुपयोग की समस्या को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं उन लोगों के लिए हानिकारक हैं, जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुमार ने कहा, सरकार को ऐसी धांधली रोकने के लिए योजनाओं की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त करना होगा। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर टिकी हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी इस मामले में सहयोग करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यदि जांच में चंद्रावती देवी और उनके परिवार की दोषसिद्धि होती है, तो यह मामला एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ एक मिसाल बन सकता है।

– इधर –

एससी.एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर छह महीने की सुनाई सजा

कोर्ट ने कहा, झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले को कठोर और समुचित सजा नहीं दी गई तो करते रहेंगे एक्ट का दुरुपयोग।

लखनऊ। विवाद के बाद विपक्षियों को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने छह महीने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि दोषी मैकूलाल ने अपने विपक्षियों को एससी-एसटी एक्ट समेत जिन धाराओं में आरोपित बनाया उनमें पांच साल से अधिक संजा का प्रविधान है। किसी वादी को ऐसे झूठे कथन नहीं कहने चाहिए क्योंकि वादी सबसे महत्वपूर्ण गवाह होता है। कोर्ट ने कहा कि यदि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले को कठोर और समुचित सजा नहीं दी गई तो लोग दुष्प्रेरित होकर एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग करते रहेंगे। अभियोजन पत्रावली के अनुसार मैकूलाल ने पारा थाने में नौ मई 2017 को सुमित और अमित कालरा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना में पता चला कि मैकूलाल मिस्त्री है। सुमित और अमित कालरा ने मैकूलाल से अपना घर बनवाया था, जिसकी मजदूरी को लेकर उनका मैकूलाल से विवाद हो गया था। मैकूलाल ने खातिर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिस दिन की घटना मैकूलाल ने बताई थीए उस दिन वह घटना स्थल पर ही नहीं था। विवेचना में अमित तथा सुमित कालरा को बरी कर दिया गया था। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मैकुलाल के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की गई थी।

मध्यप्रदेश: सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, फिर क्यों लाई नई पदोन्नति नीति सरकार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब पुरानी नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला अभी विचाराधीन है, तो नई नीति क्यों लागू की गई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने यह भी पूछा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, तो नए नियमों के तहत प्रमोशन क्यों दिए जा रहे हैं। अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं स्वीकार होती हैं, तो नए नियमों के तहत हुई पदोन्नतियों पर क्या असर पड़ेगा, और यदि याचिकाएं खारिज होती हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा।

दरअसल, भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एमपी लोकसेवा आयोग पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2002 के नियमों को हाई कोर्ट ने आरबी राय केस में समाप्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके बावजूद राज्य शासन ने महज़ नाममात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर नए नियम लागू कर दिए।

एम.बी.सी. के 1252 चयनित कर्मचारियों पर फिर लटकी सुप्रीम कोर्ट की तलवार

नई दिल्ली। 10 सितम्बर, 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसबीसी (गूजर) आरक्षण मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी/सिविल अपील पर कोर्ट संख्या 16 में सुनवाई हुई।

समता आन्दोलन द्वारा प्रथम बार इस आरक्षण को हाईकोर्ट से निरस्त करवाने के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा यह अपील की गई थी। राज्य सरकार द्वारा यह अपील इन्फ्रक्चुअस (प्रभावहीन) होने का तर्क दिया गया जिसका समता आन्दोलन के विद्वान वकीलों द्वारा विरोध किया गया।

बेंच ने समता आन्दोलन के विरोध पर गौर करते हुए राज्य सरकार को लिखित आवेदन पेश करने का तीन सप्ताह का तथा समता आन्दोलन को इस आवेदन का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देकर अगली तारीख 19 नवम्बर 2025 तय की है।

राजस्थान सरकार के अधिवता एएजी ने पूर्व की वसुंधरा सरकार द्वारा दायर एस.एल.पी. को वापस लेने का तर्क दिया और कहां राजस्थान विधानसभा ने 11 फरवरी 2019 को एमबीसी का नया विधेयक पारित कर दिया इसलिए अब एसबीसी आरक्षण विधेयक-2015 निष्प्रभावी हो गया इसलिए एस.एल.पी. निष्फल है इसे राजस्थान सरकार वापस लेने का निर्णय लेती है।

15 अक्टूबर 2015 से 9 दिसंबर 2016 की अवधि में चयनित 1252

कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द होने का खतरा इससे पैदा हो गया है। इसी संदर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट में समता आंदोलन समिति ने एसबीसी आरक्षण विधेयक 2015 द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण, 50 प्रतिशत सीमा से अधिक आरक्षण देने पर चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष भंडारी द्वारा 9 दिसंबर 2016 को एसबीसी आरक्षण विधेयक 2015 को रद्द कर दिया था।

राजस्थान हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ गुर्जर समाज के दबाव में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 एसएलपी दायर की गई थी।

एसबीसी आरक्षण से चयनित 1252 अभ्यर्थियों को एसएलपी के आधीन जीरो मेरिट पर नियुक्ति दी गई थी।

हाल ही सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तक दिया कि ये मामला निष्फल है और उस आशय का एक आवेदन दायर किया जाएगा। अपेक्षित आवेदन दायर करने के लिए, प्रार्थना के अनुसार तीन सप्ताह का समय प्रदान किया गया है। जबकि प्रतिवादी समता आंदोल समिति को उक्त आवेदन पर प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। इस मामले को 19 नवम्बर 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

यदि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एस.एल.पी. वापस लेती है तो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 9 दिसंबर 2016 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट का स्टे हट जाएगा और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को रद्द करने का फैसला माना जाएगा जिसका प्रभाव 5 प्रतिशत एसबीसी आरक्षण से चयनित 1252 अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो जब सरकारी नौकरी कर रहे हैं।

50 प्रतिशत सीमा से अधिक 5 प्रतिशत एसबीसी को आरक्षण देने का विधेयक रद्द होने से एमबीसी आरक्षण विधेयक 2019 पर तलवार स्थाई रूप से लटक जायेगी।

पूर्व गहलोत सरकार द्वारा गुर्जर सहित 5 जातियों को 11 फरवरी 2019 को 5 फीसदी एमबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित किया था जिसके तहत 13 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित पाँच जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

छिड़ गई एक और बहस

मराठा आरक्षण के विरोध में ओबीसी-बंजारा व आदिवासी एकजुट हुए

मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने से अनुसूचित जाति-जनजाति व ओबीसी वर्ग चिन्तित

जालना। महाराष्ट्र में अब मराठा आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। मराठों को आरक्षण देने के लिए जारी सरकारी आदेश के विरोध में जालना जिले में ओबीसी.बंजारा और आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार जब तक मराठा आरक्षण गवरमैंट रैजोल्यूशन को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र और कोटा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुनबी एक कृषि प्रधान समुदाय, महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग का हिस्सा है।

बंजारा संगठन गोर सेना के धाराशिव निवासी बंजारा स्नातक ने शनिवार को एसटी आरक्षण की मांग पर आत्महत्या की। ओबीसी नेताओं ने 10 अक्टूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है।

अध्यक्ष संदेश चव्हाण ने कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और हैदराबाद राज्य में आरक्षण प्राप्त था। हम चाहते हैं कि हमारे समान अधिकार बहाल हों।

धाराशिव निवासी 32 वर्षीय बंजारा स्नातक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। उसने अपने पीछे एसटी आरक्षण की मांग करते हुए एक नोट छोड़ा था। ग्यारह सितंबर से बंजारा युवा जालना कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। जबकि वरिष्ठ नेता हरिभाऊ राठौड़ ने 15 सितंबर को जालना और बीड में मार्च निकालने की घोषणा की है।

आदिवासी संगठनों ने बंजारा समुदाय की मांग का विरोध किया है और दावा किया है कि बंजारा समुदाय को विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति खंड के तहत पहले से ही 3 प्रतिशत कोटा का लाभ मिल रहा है।

ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सतसुंग मुंधेने चेतावनी दी कि आरक्षण बढ़ाने से ओबीसी श्रेणी में पहले से सूचीबद्ध 374 जातियों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। ओबीसी नेताओं ने 10 अक्तूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है।

वहीं मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वयक संजय लाखे पाटिल ने भी जारंगे के खिलाफ बोलते हुए दावा किया है कि उन्हें हैदराबाद राजपत्र के बारे में कोई गहन जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठों को ही लाभ मिलेगा। सरकार मराठों को धोखा दे रही है।

मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के अधीन था। उनके प्रशासन ने राजपत्र में जातियों और व्यवसायों का दस्तावेजीकरण किया था। 1918 में मराठों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। जो एक ऐसी मिसाल है जिसका इस्तेमाल अब उनके ओबीसी दावे के समर्थन में किया जा रहा है। उस समय निजाम का शासन 17 जिलों पर था, जिनमें से पांच, औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभणी और उस्मानाबाद, बाद में महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए।

विश्व हिन्दू परिषद का प्रयास

5 हजार दलित बने मंदिरों के पुजारी, देश में जातीय भेदभाव मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली। देश में जातीय भेदभाव मिटाने की दिशा में चल रहे विश्व हिंदूपरिषद के प्रयास को बड़ी सफ्लता हासिल हुई है। देश में पांच हजार दलितों को पुजारी बनाने में विहिप सफ्ल हुआ है। ऐसा संगठन ने दावा किया है।

विहिप की कोशिशों से ज्यादातर पुजारी सरकारी देखरेख में संचालित मंदिरों के पैनल में भी शामिल हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सामाजिक समरस्ता की दिशा में यह अभियान लगातार चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू मित्र परिवार योजना, और एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान-तभी बनेगा भारत महान की योजना पर भी लगातार काम कर रहा है।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शुक्रवार को कहा, दक्षिण भारत में इस अभियान को बड़ी सफ्लता मिली है। यहां के राज्यों में दलित पुजारियों की संख्या ज्यादा हैं। सिर्फ तमिलनाडु में ही ढाई हजार दलित पुजारी विहिप की कोशिशों से तैयार हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में भी दलित पुजारियों की अच्छी-खासी संख्या है।

पूरे देश में 5 हजार से अधिक दलित पुजारियों को विहिप ने तैयार किया है। यह संगठन की बड़ी सफलता है। दलित पुजारियों को तैयार करने वाले इस अभियान के संचालन के लिए विहिप में दो विभाग काम करते हैं। अर्थक पुरोहित विभाग और सामाजिक समरस्ता विभाग मिलकर इस पूरे अभियान को चला रहे हैं। धर्म-कर्म में रुचि रखने वाले दलितों को पूरे विधि-विधान से पूजन-अर्चन करने की पद्धति सिखाई जाती है। फ्रि उन्हें सर्टिफिक्ेट भी मिलता है।

पुजारियों को तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर से प्रमाणपत्र मिला

विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल के मुताबिक दक्षिण भारत के दलित पुजारियों को आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपत्ति बालाजी मंदिर की ओर से प्रमाणपत्र मिला है। यह प्रमाणपत्र धार्मिक कार्यों के संचालन की दीक्षा सफ्लतापूर्वक हासिल करने के बाद उन्हें मिला है।

विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1964 में स्थापना के पांच वर्ष बाद से ही संगठन देश से अस्पृश्यता दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। कर्नाटक के उडुपी में वर्ष 1969 में हुए धर्म संसद में अस्पृश्यता दूर कम करने का संकल्प लिया गया था। उस दौरान संतों ने देश को न हिन्दू पतितो भवेत का संदेश दिया था। जिसका मतलब था कि सभी हिंदू भाई-भाई है, कोई दलित नहीं है।

दलितों को मुख्यधारा में लाने की कोशिशों के तौर पर 1994 में काशी में हुई धर्म संसद का निमंत्रण डोम राजा को देने विहिप के पदाधिकारी और संत गए थे। उन्होंने डोम राजा के घर प्रसाद भी ग्रहण किया था।

विहिप के आमंत्रण पर धर्म संसद में पहुंचे डोम राजा को बीच का आसन देकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया था। नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास भी विहिप ने दलित कामेश्वर चौपाल के हाथों कराकर उस समय सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया था। राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में भी कामेश्वर चौपाल को जगह दी गई है।

जातीय भेदभाव मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दक्षिण भारत में इस अभियान को बड़ी सफ्लता मिली। सिर्फ तमिलनाडु में ही ढाई हजार दलित पुजारी विहिप की कोशिशों से तैयार हुए।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in